संख्याः 1646 /XI/2018/56(38)2016

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 08 अगस्त, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में विधायक निधि के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की प्रथम किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 519/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 1157/दिनांक 31.05.2018 एवं शासनादेश संख्या 946/दिनांक 19.04.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग की योजना **'विधायक निधि'** हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से **थराली विधानसभा क्षेत्र** हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख **(रू0 दो करोड़ मात्र)** की धनराशि **निम्न तालिकानुसार** आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं नियमानुसार किश्तों में वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	जनपद का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार कम सख्या एवं नाम	अब तक अवमुक्त	प्रथम किश्त हेतु प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि का विभाजन (₹ लाख में)		
					सामान्य अंश (77%)	अनुसूचित जाति अंश (19%)	अनुसूचित जनजाति अंश (4%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चमोली	05 – थराली	00.00	200.00	154.00	38.00	8.00

1. पूर्व में निर्गत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए।
2. विधायक निधि के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही कार्यों को सम्पन्न किया जाएगा और निधियों का उपयोग राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के आदेश सं0 519/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम चालू निर्माण कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु किया जायेगा।
4. प्रश्नगत योजना के अंतर्गत विधानसभा के मा0 सदस्यगण सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रस्तावित करेंगे।
5. मा0 सदस्य विधानसभा द्वारा संस्तुत कार्य स्थल को मा0 विधायक की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकेगा।
6. प्रदेश सरकार द्वारा विधायक निधि हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धांत एवं इस निमित्त समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2017 तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. अवमुक्त की जा रही धनराशि का यथा आवश्यकता अनुसार कोषागार से आहरण किया जाय तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अंश के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि को इन्हीं जातियों के कल्याणार्थ योजनाओं पर ही व्यय किया जायेगा।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 549/XI/2006 दिनांक 29.4.2006 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित जाति के विकास कार्यों पर ही व्यय की जाय।
10. अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में व्यावर्तित नहीं किया जायेगा।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक कर लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त के सम्वन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के **अनुदान संख्या–19** के अधीन लेखा शीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय– 102–सामुदायिक विकास–07–विधायक निधि–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की मद से रू0 **154.00 लाख** एवं **अनुदान संख्या–30** के अधीन लेखाशीर्षक–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–102–सामुदायिक विकास–04–विधायक निधि–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की मद से रू0 **38.00 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31** के अधीन लेखा शीर्षक–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–102–सामुदायिक विकास–04–विधायक निधि–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की मानक मद में रू0 **8.00 लाख**, इस प्रकार कुल **200.00 लाख** वहन किया जायेगा एवं उक्त सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 183/XXVII–1/2012 दिनांकः 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1808190051, S1808300052 एवं S1808310053 से जेनरेट कर एवं वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 68 वित्त–4 /2018 दिनांकः 06.04.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः /XI/18/ 56(38)2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, कौलागढ़ ,देहरादून।
2. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, कौलागढ़ ,देहरादून।
3. मा0 विधायकगण (सम्बन्धित) द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।
4. अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अनु सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 1646 XI/18/56(38)2016
अनुदान संख्या - 019

अलोटमेंट आई डी - S1808190051
आवंटन पत्र दिनांक -07-Aug-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: **लेखा शीर्षक** 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
102 - सामुदायिक विकास
00 - विधायक निधि

00 -
07 - विधायक निधि

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	1078000000	15400000	1093400000
	1078000000	**15400000**	**1093400000**

आवंटन पत्र संख्या - 1646 XI/18/56(38)2016
अनुदान संख्या - 030

अलोटमेंट आई डी - S1808300052
आवंटन पत्र दिनांक -07-Aug-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

2: **लेखा शीर्षक** 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
102 - सामुदायिक विकास
00 - विधायक निधि

00 -
04 - विधायक निधि

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	266000000	3800000	269800000
	266000000	**3800000**	**269800000**

आवंटन पत्र संख्या - 1646 XI/18/56(38)2016
अनुदान संख्या - 031

अलोटमेंट आई डी - S1808310053
आवंटन पत्र दिनांक -07-Aug-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

3: **लेखा शीर्षक** 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
102 - सामुदायिक विकास
00 - विधायक निधि

00 -
04 - विधायक निधि

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	56000000	800000	56800000
	56000000	**800000**	**56800000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 20000000

9